

नगा युद्धवरिम समझौते का वसितार

प्रलिमिस के लयि:

नगा युद्धवरिम समझौता, नगा शांतिप्रक्रयिा, कार्बी आंगलॉग समझौता, 2021, ब्रू समझौता, 2020, बोडो शांति समझौता, 2020, नागरकिता (संशोधन) अधनियिम, 2019, नागरकिों का राष्ट्रीय रजसिटर

मेन्स के लयि:

उग्रवाद मुक्त, समृद्ध उत्तर पूरव के दृष्टकिोण का महत्त्व, पूरवोत्तर भारत में संघर्ष की स्थतिि

चर्चा में क्योँ?

हाल ही में केंद्र ने केंद्र सरकार और तीन नगा समूहों के बीच संघर्ष वरिम समझौते को एक वर्ष के लयि बढ़ा दिया है जसि पर 19 अप्रैल, 2022 को हस्ताक्षर कयि गए थे ।

नगा युद्धवरिम समझौता:

- नगा समूहों में नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड-एनके ((NSCN-NK), नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड-रफिॉरमेशन (NSCN-R) तथा नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड-के-खांगो (NSCN-K-Khango) शामिल हैं ।
 - ये सभी समूह नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड (NSCN-IM) और नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड-खापलांग (NSCN-K) के अलग-अलग गुट हैं ।
- यह समझौता नगा शांतिप्रक्रयिा के लयि एक महत्त्वपूरण है तथा यह भारत के प्रधानमंत्री के 'उग्रवाद मुक्त, समृद्ध उत्तर पूरव' के दृष्टकिोण के अनुरूप है ।
- सतिंबर 2021 में केंद्र ने नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड (K) नकिी ग्रुप के साथ एक वर्ष के लयि संघर्ष वरिम समझौता कयि था ।
- केंद्र ने इससे पहले अगस्त, 2015 में NSCN (IM) के साथ एक "फ्रेमवर्क एग्रीमेंट" पर हस्ताक्षर कयि थे ।

THE NAGA STRUGGLE

1918: Naga Club formed. Seeds of Naga nationalism sown	Agreement interpreted as offer for sovereignty by NNC
1946: Naga National Council (NNC) born under the leadership of A.Z. Phizo	1955: NNC begins armed insurgency. Delhi imposes Assam Disturbed Areas' Act
August 14, 1947: NNC declares independence	1958: AFSPA comes into force
June 1947: Haidari	1963: Nagaland born
1964: Nagaland Peace Mission created, ceasefire signed	
1975: Shillong Accord signed, calls for unconditional ceasefire, termed a 'complete sellout'	
	1980: National Socialist Council of Nagalim (NSCN) formed
	1988: NSCN splits into NSCN (K) and NSCN (I-M)
	1997: NSCN (I-M) signs ceasefire
	2001: NSCN (K) signs ceasefire
	March 2015: NSCN (K) breaks ceasefire
August 2015: Naga peace accord signed	



नगा शांति प्रक्रिया

- वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद 'नगा' क्षेत्र प्रारंभ में असम का हिस्सा बना रहा। हालाँकि एक मज़बूत राष्ट्रवादी आंदोलन ने नगा जनजातियों के राजनीतिक संघ की मांग करना शुरू कर दिया और कुछ चरमपंथियों ने भारतीय संघ से पूरी तरह से अलग होने की मांग की।
- वर्ष 1957 में असम के 'नगा पहाड़ी क्षेत्र' और उत्तर-पूर्व में 'त्वेनसांग फ्रंटियर' डिवीज़न को भारत सरकार द्वारा सीधे प्रशासित एक इकाई के तहत एक साथ लाया गया था।
- वर्ष 1960 में यह तय किया गया कि नगालैंड को भारतीय संघ का एक घटक राज्य बनना चाहिये। नगालैंड ने वर्ष 1963 में राज्य का दर्जा हासिल किया और वर्ष 1964 में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार ने सत्तासीन हुई।

उग्रवाद मुक्त समृद्ध पूर्वोत्तर का दृष्टिकोण (वज़िन)

- यह माना जाता है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर राज्य देश के लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- इसलिये इसका उद्देश्य 2022 तक पूर्वोत्तर में सभी प्रकार के विवादों को समाप्त करना तथा वर्ष 2023 में पूर्वोत्तर में शांति और विकास के एक नए युग की शुरुआत करना है।
- इसके तहत सरकार पूर्वोत्तर की गरमा, संस्कृति, भाषा, साहित्य और संगीत को समृद्ध कर रही है।
- हालिया वर्षों में सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में सैन्य संगठनों के साथ कई शांति समझौतों पर भी हस्ताक्षर किये हैं। उदाहरण
 - कार्बी एंगलों समझौता, 2021: इसमें असम के पाँच विद्रोही समूहों, केंद्र और असम की राज्य सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
 - ब्रू समझौता, 2020 : ब्रू समझौते के तहत त्रिपुरा में 6959 ब्रू परिवारों के लिये वित्तीय पैकेज सहित स्थायी बंदोबस्त पर भारत सरकार, त्रिपुरा और मज़ोरम के बीच ब्रू प्रवासियों के प्रतिनिधियों के साथ सहमत वियक्त की गई है।
 - बोडो शांति समझौता, 2020: वर्ष 2020 में भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूहों के प्रतिनिधियों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (BTR) को अधिक स्वायत्तता प्रदान की गई।
 - यह शांति समझौता एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के)- खांगो, एनएससीएन (आईएम) जैसे नगा विद्रोह में शामिल विभिन्न सैन्य संगठनों के साथ किया

पूर्वोत्तर भारत में संघर्ष की स्थिति:

- राष्ट्रीय स्तर के संघर्ष: इसमें एक अलग राष्ट्र के रूप में एक विशिष्ट 'मातृभूमि' की अवधारणा को शामिल है।

- **नगालैंड:** नगा वदिरोह, स्वतंत्रता की मांग के साथ शुरू हुआ।
 - हालाँकि आजादी की मांग काफी हद तक कम हो गई है, लेकिन 'ग्रेटर नगालैंड' या 'नगालमि' की मांग सहित अंतिम राजनीतिक समझौते का लंबित मुद्दा बना हुआ है।
- **जातीय संघर्ष:** प्रमुख जनजातीय समूह की राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभावशाली समूहों के खिलाफ संख्यात्मक रूप से छोटे और कम प्रभावशाली जनजातीय समूहों के दावे को शामिल करना।
 - **त्रिपुरा:** वर्ष 1947 के बाद से राज्य की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल परिवर्तित हुई है, जब नए उभरे पूर्वी पाकिस्तान/बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर पलायन ने बड़ी तादात में आदिवासी क्षेत्र से बंगाली भाषी लोगों के बहुमत वाले क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया।
 - आदिवासियों को सीमितमूल्यों पर उनकी कृषि भूमि से वंचित कर दिया गया और उन्हें जंगलों में रहने के लिये मजबूर कर दिया गया।
 - परणामी तनाव बड़ी हिसा और व्यापक आतंक का कारण बना।
 - **उप-क्षेत्रीय संघर्ष:** उप-क्षेत्रीय संघर्ष में ऐसे आंदोलनों को शामिल किया जाता है जो उप-क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देने को प्रेरित करते हैं और प्रायः राज्य सरकारों या यहाँ तक कि स्वायत्त परिषदों के साथ सीधे संघर्ष में व्याप्त हो जाते हैं।
 - **मज़ोरम:** हसिक वदिरोह के अपने इतिहास और उसके बाद शांति की ओर लौटने वाला यह राज्य अन्य सभी हिसा प्रभावित राज्यों के लिये एक उदाहरण है।
 - वर्ष 1986 में केंद्र सरकार और मज़ो नेशनल फ्रंट के बीच 'मज़ो शांति समझौते' और अगले वर्ष राज्य का दर्जा दिये जाने के बाद मज़ोरम में पूर्ण शांति और सद्भाव कायम है।
 - इसके अलावा मज़ोरम के गठन के समय से ही असम और मज़ोरम के बीच सीमा विवाद व्याप्त है।
 - **अन्य कारण:** प्रायोजित आतंकवाद, सीमापार से प्रवासियों की नरंतर आवाजाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न संघर्ष, महत्त्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण को और मजबूत करने के उद्देश्य के परिणामतः अपराधिक स्थितियाँ बन गई हैं।
 - **असम:** राज्य में प्रमुख जातीय संघर्ष 'वदिशियों' की आवाजाही के कारण है यहाँ वदिशियों से तात्पर्य सीमा पार (बांग्लादेश) से असमिया से काफी अलग भाषा और संस्कृत वाले लोगों से है।
 - असम में हालिया तनाव **नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019** और **राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर** की बहस से उत्पन्न हुआ है।
 - **संघर्ष समाधान के तरीके:**
 - सुरक्षा बलों/पुलिस कार्रवाई को मजबूत करना।
 - राज्य का दर्जा, **छठी अनुसूची**, संविधान के भाग XXI के तहत विशेष प्रावधान जैसे तंत्र के माध्यम से अधिक स्थानीय स्वायत्तता।
 - उग्रवादी संगठनों से बातचीत।
 - विशेष आर्थिक पैकेज सहित विकास गतिविधियाँ।



स्रोत : द हिंदू

